



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AB 685155

CERTIFICATE



In pursuance of the order of the collector No. ⁰⁷..... dated ..02.04.2013..... passed under Section 10-A at the stamp act is certified that an amount of Rs. 2,19,02,000/- (Rupees Two Crore Nineteen Lac Two Thousand Only) has been paid by **Deserve Builders and Developer Ltd.** through **Uttar Pradesh Pramukh Sri Santosh Kumar Mishra R/o 2/6, Vishwasheel Complex, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow**, in cash as stamp duty in respect of this instrument in the State Bank of India Lucknow by Challan No. **G-100002** dated **31.03.2013**, a copy of which is annexed herewith.

Lucknow

Dated :

02.04.2013

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

[Signature]

Authorized Signatory



[Signature]
Chief Treasury Officer
Lucknow

02/04/2013

मुख्य कोषाधिकारी
आदर्श अनागर
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

[Signature]
संयोजित प्रबंधक

इन्द्रावत सोजन्त, लखनऊ

CERTIFIED TRUE COPY

[Signature]
SANTOSH MISHRA
Advocate & Notary
Govt. Of India

72

02 - 11 - 13


नाम विक्रय करने की तिथि
स्वास्थ्य करन का प्रमाणन
स्थापक के नाम व पता

श्री. वि. एस. 10-0 से 114

स्थान की धनराशि
श्री. राम साधु र. विक्रेता

लाइसेंस नं. 3-55
लाइसेंस की अवधि 31-3-2015
कलेक्टर कार, लखनऊ

117



भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला।

उप निबंधक कार्यालय
लखनऊ

कम सं० 13561

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

06-Apr-2013

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम

मे० डिजर्व वि० ए० डेव, लि० द्वारा संतोष कुमार।

लेख का प्रकार

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

प्रतिफल की धनसशि

0.00 / 0.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 10,000.0

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 40

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुक्तास्नामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविधि

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग

10,040.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक

06-Apr-2013

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र

वापस करने के लिए तैयार किया

06-Apr-2013

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



CERTIFIED TRUE COPY


Santosh Mishra
27/6/13
SANTOSH MISHRA
Advocate & Notary
Govt. Of India

5958/13



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R-677463



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
भुपहाउसिंग भूखण्ड के लिए किराया किश्त कय का अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक 04 अक्टूबर 13 माह दो हजार को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य क्रमशः 2 पर

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.
Authorized Signatory
आवन्ती

रामपति प्रदीप
इन्दावन योजना, लखनऊ

CERTIFIED TRUE COPY
SANTOSH MISHRA
Advocate & Notary
Govt. Of India



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE-548582



(2)



उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदपश्चात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है।


For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

S. Mishra
Authorized Signatory
आवृत्ति



[Signature]
क्रमशः 3 पर
सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

13996
13/01/13
15 Not Dist 005
A
[Signature]





(3)

माध्यम से होता है। एक पक्ष और मैसर्स डिजर्ब बिल्डर्स एण्ड डेवलपर लि० की ओर से द्वारा श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी-2/6,D-2/23,D-2/24 & D-2/25 विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ जिसे एतत्पश्चात किराया-किश्त क्रेता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतत्पश्चात यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिनी और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी,निष्पादक,प्रशासक,विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी है,दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूँकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किश्त क्रेता ने स्वामी से किराया किश्त क्रय योजना के अधीन एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किश्त क्रेता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।


और चूँकि किराया-किश्त क्रेता ने **रु० 21,90,59,554.00 (शब्दों में केवल रु० इक्कीस करोड़ नब्बे लाख उनसठ हजार पाँच सौ चौवन मात्र)** का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें टोकन हेतु जमा बयाना धनराशि सम्मिलित है।

उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-7- का कुल मूल्य **रु० 31,29,42,220.00 (इक्तीस करोड़ उनतीस लाख बयालिस हजार दो सौ बीस मात्र)** जिसका आधा **रु० 15,64,71,110.00 (पन्द्रह करोड़ चौसठ लाख इक्हत्तर हजार एक सौ दस मात्र)** होता है। आवंटी द्वारा यदि किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज भी देय होगा।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्द्वारा किराया-किश्त क्रेता से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया-किश्त भी एतद्द्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात्।

1- किराया -किश्त क्रेता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में,सम्पत्ति का जिसकी संख्या 11/GH-7- है और जो वृन्दावन योजना संख्या-3 के लखनऊ में सेक्टर संख्या 11 में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है,कब्जा दिया जायेगा।

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.


Authorized Signatory

आवंटी




सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

कमरा: 4 पर



Faint, illegible text lines, possibly a header or title, located in the upper middle section of the page.



5

6



(4)

2-किराया-किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 06 (छः) वर्ष की एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार ग्यारह के मार्च-13 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2019 के फरवरी मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी:-


(क) किराया-किश्त-क्रेता रू० 1,36,53,982.00 (रू० एक करोड़ छत्तीस लाख तिरपन हजार नौ सौ बयासी मात्र) की मासिक किश्त मांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी माह में जिसमें मासिक किश्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया-किश्त क्रेता द्वारा पहले ही कर दिया गया और जिसे माह मार्च-13 की प्रथम किश्त के रूप समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष-2013 के माह जून -13 के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेण्डर मास के तुरन्त बाद किराया-किश्त क्रेता की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।


(ख) किराया-किश्त को आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भू-स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-क्रेता-स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा।

परन्तु किराया-किश्त क्रेता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य शर्तों से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने का शक्ति होगी।

(ग) किराया-किश्त क्रेता सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्तारण, बिजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिसे पद के अन्तर्गत सामान्य और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी)। स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में


For M/s Derserve Builders & Developers Ltd.


Authorized Signatory
आवन्ती


सम्पत्ति प्रबंधक
मृदावन योजना, लखनऊ

कमरा: 5 पर







(5)

(घ) किराया-किश्त क्रेता ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के अध्यासियों की या पडोसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।

(ङ) किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं ब्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक हैं तो स्वामी किराया-किश्त क्रेता के खर्च पर करवा सकता है और किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

(च) किराया किश्त क्रेता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य ब्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप- लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

(छ) किराया-किश्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा और परिषद द्वारा पहले से स्वीकृत निर्माण पर कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन या करने की अनुमति नहीं देगा। परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ज) किराया- किश्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा। परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

S. S. Desai

Authorized Signatory




[Handwritten Signature]

सम्पत्ति प्रबंधक

बृन्दावन योजना, लखनऊ

कमशः 6 पर



(6)



परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो ।

(झ) किराया-किश्त क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा ।

(ञ) किराया किश्त क्रेता किसी भी स्तर पर किन्हीं कारणों से चाहे जो भी हो जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है सम्पत्ती के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तिया उठे या दावे प्रस्तुत किये जाये ।


(ट) किराया-किश्त क्रेता इस योजना के अधीन उसपर जाने वाले ऐसे सभी उत्तर दायित्वों का निर्वाहन करेगा जो इस विलेख के अंग समझे जायेंगे और इनके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्वारा सहमति है ।

(ठ) उक्त सम्पत्ति कराया-किश्त क्रेता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का बचन देता है ।

(ड) किराया किश्त क्रेता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुंचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है ।

परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि सह इस बात का ध्यान रखे कि भूखण्ड, उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर उसी दशा में बन्द रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में, किराया-किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये । भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अनिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा ।

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.


Authorized Signatory
आवन्ती





सम्पत्ति प्रबंधक
द्वारावन योजना, लखनऊ

कमशः 7 पर





(7)

(ढ) किराया-किश्त क्रेता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने दस्तावेज से ऐसे नाम निर्देशिनी को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किश्त क्रेता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किश्त क्रेता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा । इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया- किश्त क्रेता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है ।

परन्तु किराया- किश्त क्रेता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर क्रेता के वारिस/वारिसों को स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा ।

(ण) किराया किश्त क्रेता देयों का जिनका इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। पूरा और नियमित भुगतान करेगा। किश्तों के भुगतान के लिए उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

वह किश्त में सम्मिलित सांभारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किश्त क्रेता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और क्रेता को बेदखल किया जा सकेगा । स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा । किराया-किश्त का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रक्रिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा ।

(त) यदि किराया-किश्त क्रेता सम्पत्ति या साझा भाग या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया-किश्त क्रेता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा ।

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

आविन्दी Authorized Signatory



सम्पत्ति प्रबंधक

भूदापन योजना, लखनऊ

कमशः 8 पर





(8)

(थ) यदि किराया-किश्त क्रेता किराया-किश्त क़य की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किश्त क्रेता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा ।

(द) इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और आध्यकर होगा, किराया किश्त-क्रेता द्वारा भुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्ही सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया-किश्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा । और किराया-किश्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा ।

(ध) स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया-किश्त क्रेता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विध्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा ।

इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतद्वारा किराया-किश्त क़य के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिकार में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतदपश्चात विनिश्चय किया जाए, कोई वृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमति है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी ।

(न) उक्त भूखण्ड का किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुर्नग्रहण किया जा सकेगा । किराया-किश्त क्रेता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराएगा ।

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.


Authorized Signatory



क्रमशः 9 पर


रामप्रसाद प्रसाद
युन्दावन घोशला, लखनऊ





(9)

3. स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त क्रेता को किराया-किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया-किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का सम्पत्ति के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4- यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेगा और किराया-किश्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

(10)

अनुसूची- 1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण इकाई-03 के सभी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जिसकी संख्या 11/GH-7 एवं भूमि का क्षेत्रफल 12034.26 व०मी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है :

उत्तर- 12.00 मी० चौड़ी सड़क

उत्तर- 173.10 व०मी०

दक्षिण- भूखण्ड संख्या 11/GH-8

दक्षिण- 136.30 व०मी०

पूर्व- 30.00 मी० चौड़ी सड़क

पूर्व- 120.53 मी० चौड़ी सड़क

पश्चिम- पार्क

पश्चिम- 53.00 वर्ग०मी०

इस किराया किश्त कय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से श्री आर० के० गौड़, सम्पत्ति प्रबन्धक ने तथा आवटी मैसर्स डिजर्व बिल्डर्स एण्ड डेवलपर लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र आशयिता 11/GH-7 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमशः 10 पर

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

शांकी Authorized Signatory

सम्पत्ति प्रबन्धक
इन्दावन योजना, लखनऊ





(10)

अनुसूची-2

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-

स्थान लखनऊ

दिनांक

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर

2-नाम : M. 2. HANAN

3-पता: 268/38/1, Shikhar Khari,
Gand, Street Road
Awarbagh, LKO-226204

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर

2-नाम : Shiv Prakash Tewari
Type D/16 Dr. R.M. L. Hospital
Gomti Nagar, Lucknow

3-पता:

प्रथम साक्षी

1-हस्ताक्षर

2-नाम : Himmat Singh

3-पता : HERT लेखाकार

द्वितीय साक्षी

1-हस्ताक्षर

2-नाम :

3-पता :

किराया किश्त क्रेता का
सुपाठ्य हस्ताक्षर और पता)

For M/s Deserve Builders & Devt

1-हस्ताक्षर

2-नाम:-मैसर्स डिजर्ब बिल्डर्स एण्ड

डेवलपर लि०

नाम:- श्री संतोष कुमार मिश्र

पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र

3-पता:-B-2/6, D-2/23 D-2/24 & D-2/25,

विभूति खण्ड गोमती नगर

लखनऊ।


परिषद की ओर से एवं उसके लिए

संतोष मिश्र
वृन्दावन योजना, लखनऊ

CERTIFIED TRUE COPY

SANTOSH MISHRA
Advocate & Notary
Govt. Of India

कमशः 11 पर






(11)

किरायेदारी सम्बन्धी उपबन्ध

- (1) यह उपबन्ध किराया-किश्त क्रेता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उत्तरक फ्लैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) किराया-किश्त क्रेता अपने फ्लैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
- (3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखरायें बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
- (4) स्नानघर और शौचलय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावें।
- (5) किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेट्टी को किराया-किश्त क्रेता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारों या रास्तों में नहीं रखा जायेगा।
- (6) भवन के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।
- (7) किराया-किश्त क्रेता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।
- (8) फ्लैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।
- (9) भवन के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।
- (10) प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।
- (11) प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।
- (12) सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियाँ, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.


Authorized Signatory
अवध


सम्पत्ति प्रबंधक
दृन्दावन योजना, लखनऊ

क्रमशः 12 पर





(12)

(13)परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(14)उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया-किश्त क्रेता के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

(15) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हो,मान्य होगी।

नोट:-(1) उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के फर्म द्वारा किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध में प्रयुक्त स्टाम्प एक्ट की धारा-10A के अधीन जिलाधिकारी(म०) लखनऊ के आदेश संख्या-07 दिनांक 02.04.2012 के क्रम में राजकीय व्यवसायिक शाखा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के चालान संख्या-जी-100002 दिनांक 13-03-2013 के विरुद्ध मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ द्वारा दिनांक 02.04.2013 को निर्गत रूपये 3,55,56,000.00 का स्टाम्प प्रमाण पत्र व रूपये 600-00 के जनरल स्टाम्प पेपर पर किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

नोट:-(2) अतः शासनादेश सं०वि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7% की दर से स्टाम्प रूपये 2,19,06,000.00 में अदा किया जा रहा है।

नोट:-(3) उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड भवन संख्या 11/GH/7 का आवंटन पत्र संख्या 6274 दिनांक 17-11-2012 को निर्गत किया गया है। उक्त भूखण्ड का किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध छः माह के अन्दर किया जा रहा है। अतः परिषद मूल्य पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

हस्ताक्षर
M/s Deserve Builders & Developers Ltd

नाम:- मैसर्स डिजर्व बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लि०
Authorized Signatory

डेवलपर लि०

श्री संतोष कुमार मिश्र

पता B-2/6, D-2/23 D-2/24 & D-2/25,

विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।


(आर०के०गौड)
सम्पत्ति प्रबंधक
सम्पत्ति प्रबंधक
इन्दौर नगर, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



मैसर्स डिजर्ब बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किश्त किरायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे है।

आवन्ती



For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

Deserve
Authorized Signatory

Santosh Mishra
संयोजित प्रबन्ध अधिकारी
उ० प्र० आवास एवं विकास फोरम
सुन्दारन कोला, लखनऊ

पत्र संख्या 116

स्टाम्प विक्रय की तिथि 06/04/13

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन लेख

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता मे० दिनेश मिश्रा ए० डेवकपुरा लो०

रु० 125 - इन्दौर ३ मासिका

स्टाम्प की धनराशि 10000

सरिता यमा, स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं० 218
लाइसेन्स की अवधि 31-3-2013
निबन्धन भवन, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(10)



मैरस डिजर्व बिल्डर्स एण्ड डेवलपर लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किरत किरायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे हैं।

आवन्टी

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

S. Mishra
Authorized Signatory

Santosh Mishra
सम्पति प्रबन्ध अधिकारी
उ० प्र० अवास एवं विकास परिषद
पूर्यावन क्षेत्र, लखनऊ

पत्र संख्या 114

स्टाम्प विक्रय की तिथि 25/04/12


स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता. मे. डिजिटल विल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लि.

डा. रा. संतोष कुमार मिश्रा

स्टाम्प की धनराशि 1000/-

संश्लेषण व मूला स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं० 218
लाइसेंस की अवधि 31-3-2011
निबन्धन भवन लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 831329




(15)

मैसर्स डिजर्ब बिल्डर्स एण्ड डेवलपर लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में मृष हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किश्त किरायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे हैं।

आवन्टी

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.


Authorized Signatory


समाप्ति प्रदत्त अधिकारी
रक्त प्रशासन एवं विकास अधिकारी
लखनऊ

संख्या 115

स्टाम्प विक्रय की तिथि 25/04/13

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ले

स्टाम्प क्रय का धन व पूरा पता मे. डिपार्ट विल्डर एड्डेक्लपरालिठ

डा.श. धर्मोष गुप्त मिश्र

स्टाम्प की धनराशि 1000

सरिता तमर, स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं० 218
लाइसेंस की अवधि 31-3-2014
निबन्धन भवन, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 956226

(16)

11/04/2013

मैसर्स डिजर्व बिल्डर्स एण्ड डेवलपर लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किस्त किरायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे है।

क्रमशः 19 पर

आवन्ती

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

S. Mishra
Authorized Signatory

S. Mishra
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
इन्दौर, मध्य प्रदेश

रकम 15

स्टाम्प विक्रेता की तिथि 06/05/17

स्टाम्प क्रेता करने का प्रयोजन लोड

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता श्री. शिवकि बि लडसि एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड

स्टाम्प की धनराशि 100/-

S
सरिता वर्मा, स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं० 218
लाइसेंस की अवधि 31-3-2017
निवाहन भवन, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 956227



मैसर्स डिजर्ब बिल्डर्स एण्ड डेवलपर लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किश्त किरायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे हैं।

कमरा: 18 पर

आवन्त

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

S. Mishra
Authorized Signatory

[Signature]
सम्पत्ति अनुबन्ध अधिकारी
उ० प्र० आवास एवं विकास प्रीवट
कं. लि. योजना, लखनऊ

118

स्टाम्प विक्रय की तिथि 06/04/17

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन लघु

स्टाम्प क्रयता का नाम व पूरा पता श्री. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इवलापर लि

2/15, 15-लोड 3-महल फ्री

स्टाम्प की धन्ताकि 150

सरिता वर्मा स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं० 218
लाइसेन्स की अवधि 31-3-2017
नियन्त्रण मन्त्र, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 956228



मैसर्स डिजर्ब बिल्डर्स एण्ड डेवलपर लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किरत किरायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे है।

कमरा: 19 पर



सत्यजीव प्रबन्ध अधिकारी
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
सुप्रीम योजना, लखनऊ

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

[Signature]
Authorized Signatory

संख्या 119

स्टाम्प विक्रेय की तिथि 06/04/13

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन लेख

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता मे० डिजर्व वि० ए० डेव, लि० द्वारा संतोष कुमार मिश्र

स्टाम्प की धनराशि 1000

सरिता कर्मा, स्टाम्प विक्रेता

लाइसेन्स नं० 218

लाइसेन्स की अवधि 31-3-2014
निबन्धन भवन, वि० ए० डेव, लि० द्वारा संतोष कुमार मिश्र

219,059,554.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000

प्रतिफल मालियत अग्रिम धनराशि फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री मे० डिजर्व वि० ए० डेव, लि० द्वारा संतोष कुमार मिश्र

पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र

Santosh

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी 2/23डी-2/24व डी- 2/25 विभूति खन्ड गोमती नगर लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 6/4/2013 समय 4:45PM

बच्चे निबन्धन हेतु पेश किया।

Santosh



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी. सी. सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

6/4/2013

निष्पादन लेखपत्र धाद मनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता

क्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ० प्र० आ० वि० ए० द्वारा आर० के० गौड सं० अ० ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री मे० डिजर्व वि० ए० डेव, लि० द्वारा संतोष कुमार मिश्र

पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र

पेशा व्यापार

निवासी 2/23डी-2/24व डी- 2/25 विभूति खन्ड गोमती नगर लखनऊ

Santosh



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री गुलाम मोहम्मद योजन सहार आ० वि० ए०

Gulam

पेशा नौकरी

निवासी

व श्री मोहम्मद जियाउल हसन

पुत्र श्री स० ए० ए० हसन

पेशा व्यापार

निवासी 268/361 /2 शीतलखंडा ऐराबाग लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी. सी. सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

6/4/2013

CERTIFIED TRUE COPY
SANTOSH MISHRA
Advocate & Notary
Govt. Of India



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 956229



मेसर्स डिजर्ब बिल्डर्स एण्ड डेवलपर लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किश्त किरायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग-से संलग्न किये जा रहे हैं।

कमशः 20 पर

आवन्ती

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

Authorized Signatory

सम्पति प्रबन्ध अधिकारी
ड० प्र० आवास एंड डेवलपर्स प्राइवेट
लखनऊ

क्र. 120
 टिकट विक्रय की तिथि 06/04/13
 टिकट क्रय करने का प्रयोजन लेव
 टिकट क्रय का नाम व पूरा पता मे० डिजर्व वि० डे० लि० द्वारा संतोष कुमार मिश्र
 टिकट की धनराशि 1000

सरिता बनी, टिकट विक्रेता
 लाइसेन्स नं० 218
 लाइसेन्स की अवधि 31-3-2014
 निबन्धन भवन, लखनऊ

क्रेता

Registration No. 5958 Year : 2013 Book No. : 1

0201 मे० डिजर्व वि० ए० डे० लि० द्वारा संतोष कुमार मिश्र
 प्रहलाद मिश्र
 2/23डी-2/24व डी- 2/25 विभूति खन्ड गोमती नगर लखनऊ
 व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AB 640650



मैसर्स डिजर्व बिल्डर्स एण्ड डेवलपर लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किश्त किरायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे हैं। अब कुल रू० 2,19,06,010.00 पर किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पातित किया जा रहा है।

Reserve Builders & Developers Ltd.
हस्ताक्षर [Redacted]
[Signature]
Authorized Signatory
नाम:- मै० डिजर्व एण्ड डेवलपर लि०
श्री संतोष कुमार मिश्रा

पता:- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

[Signature]
(आर०के०गौड़)

सम्पत्ति प्रबन्धक

सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी
स० ए० आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ, लखनऊ

संख्या 121-

स्टाम्प विक्रय की तिथि 06/04/13

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन को

स्टाम्प क्रय का नाम व पूरा पता श्री. रिमल बिन्दु शर्मा देवकपा नि

डाय- सैनो क मुद्रा मित्र

स्टाम्प की धनराशि 10/-

सरिता वर्मा स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं 218

लाइसेंस की अवधि 31-3-2014

निबन्धन भवन लखनऊ

आज दिनांक 06/04/2013 को

वही सं 1 जिल्द सं 15505

पृष्ठ सं 295 से 338 पर क्रमांक 5958

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी. सी. मिश्रा

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

6/4/2013

CERTIFIED TRUE COPY

Mishra 27/6/13

SANTOSH MISHRA

Advocate & Notary

Govt. Of India

